

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(G-3, स्वायत्त शासन भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया स्कीम, सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर-16)  
क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/18-19/बजट घोषणा/19138-362 दिनांक :16.03.18

1. जिला कलेक्टर,  
समस्त राजस्थान।
2. आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषदें/पालिकायें,  
समस्त राजस्थान।


विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति बाबत।  
प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 12445-669 दिनांक 26.02.2018 की निरन्तरता में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट में की गई घोषणा सं. 160 में सभी नगरीय निकायों क्षेत्रों में सड़कों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण के अन्तर्गत सड़कों-नालियों की Maintenance एवं Renewal सहित अम्बेड़कर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था, शमशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1000.00 करोड़ की घोषणा की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु अम्बेड़कर भवन निर्माण, शमशान एवं कब्रिस्तान के विकास कार्य, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य की अल्पकालीन निविदा जारी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा प्रक्रिया को निम्नानुसार पूर्ण करवाया जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

क्र. सं.	कार्यवाही	प्रस्तावित दिनांक
01.	निविदा जारी करना।	23.03.18
02.	तकनीकी विड़ खोलना।	06.04.18
03.	वित्तीय विड़ खोलना।	09.04.18
04.	कार्य आदेश जारी करना।	11.04.18

उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

  
(डॉ. मनजीत सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/18-19/बजट घोषणा/19362-19724 दिनांक :16.03.18  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव/महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
07. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महोदय (प्रभारी जिला सचिव), जयपुर।
08. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
09. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
11. मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी/परियोजना निदेशक/अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
14. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशापी अभियन्ता, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
15. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्तानुसार समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
16. प्रभारी, स्मार्टराज सेन्टर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सुरक्षित पत्रावली।



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव